अध्याय 2 - लेखापरीक्षा ढ़ाँचा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एनपीएस की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलित करने के लिए की गई थी कि क्याः-

i. एनपीएस प्रणाली जैसी परिकल्पित थी वैसी ही स्थापित हुई है;

ii. सभी पात्र अभिदाताओं को एनपीएस के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था;

iii. अभिदाताओं को निर्धारित समयसीमा में पंजीकृत किया गया था, यदि कोई हो;

iv. एससीएफ को समय पर अपलोड किया गया, कुल अंशदानों (अभिदाताओं और नियोक्ताओं के) को न्यासी बैंक में निर्धारित समयसीमा के भीतर यदि कोई हो, भेज दिया गया; तथा

v. एनपीएस को संबंधित अधिनियमों/विनियमों/आदेशों आदि के अनुसार विनियमित किया जा रहा है और उसकी निगरानी की जा रही है।

2.2 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा अक्तूबर 2018 से जनवरी 2019 के दौरान 01 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए की गई थी। यह निष्पादन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से एनपीएस की योजना, इसके कार्यान्वयन (नोडल कार्यालयों और अभिदाता के पंजीकरण के चरणों से लेकर न्यासी बैंक को अंशदान काटकर भुगतान करने तक) और केवल सरकारी क्षेत्र से संबंधित टीयर-I अंशदानों के संबंध में निगरानी पर केंद्रित थी।

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत नीचे दिए गए हैः-

- सरकारी संकल्प, अक्तूबर 2003, डीईए द्वारा;
- राजपत्र अधिसूचना, दिसंबर 2003, डीईए द्वारा;
- सरकारी संकल्प, नवंबर 2008, वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) द्वारा;
- पीएफआरडीए अधिनियम 2013 (डीएफएस द्वारा राजपत्र अधिसूचना, फरवरी 2014 से संबद्ध);
- पीएफआरडीए विनियम, अधिसूचनाएँ, परिपत्र और नियम;

- पीएफआरडीए की बोर्ड बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त;
- डीओई, डीएफएस, डीईए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय[7] (सीपीएओ) द्वारा जारी किये गये एनपीएस से संबंधित कार्यालय ज्ञापन (ओएम); तथा
- राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई अधिसूचना और ओएम

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति और नमूना

2.4.1 लेखापरीक्षा पद्धति

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व प्रमुख हितधारकों के साथ प्रवेश बैठक 8 अक्तूबर 2018 को की गई थी। लेखापरीक्षा ने प्रमुख हितधारकों में भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग अर्थात डीएफएस, डीओई, डीओपीपीडब्ल्यू, पीएफआरडीए, सीजीए और सीपीएओ में एनपीएस की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित अभिलेखों की जाँच की। चयनित राज्यों में मंत्रालयों/विभागों/एनपीएस के नोडल कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों और राज्य स्वायत्त निकायों में चयनित नोडल कार्यालयों में चयनित अभिदाताओं[8] के वेतन बिलों और अभिलेखों/डेटा की जाँच की गई। नोडल कार्यालयों द्वारा सीआरए के लिए अभिदाताओं के अंशदान विवरणों को अपलोड करने और न्यासी बैंक को एनपीएस अंशदानों को प्रेषित करने से संबंधित अभिलेख/डेटा की जाँच की गई।

2.4.2 लेखापरीक्षा नमूना

केंद्र सरकार (सिविल लेखांकन संगठन) के साथ-साथ राज्यों में मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों के नमूने का चयन करने के लिए निम्नलिखित पाँच मानदंड[9] नियोजित किए गए थेः

- 30 अप्रैल 2018 को अभिदाताओं की कुल संख्या;
- 2008-09 तथा 2017-18 के बीच कुल बकाया अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता);

---

7 सीपीएओ, सीजीए के अन्तर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है।

8 केंद्रीय मंत्रालय या विभाग/राज्य/यूटी, जहाँ सम्भव हो पाया, के प्रत्येक चयनित डीडीओ के लिये कम से कम 15 अभिदाताओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच प्रस्तावित की गयी थी।

9 पीएफआरडीए द्वारा 31 अगस्त 2018 तक उपलब्ध कराए गए आँकडों के आधार पर।

- ऐसे प्रकरणों की संख्या (डीडीओ वार और महीने-वार) जहाँ क्रेडिट में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई;
- बनाई गई ट्रांजैक्शन आईडी[10] की संख्या तथा
- ट्रांजैक्शन आईडी की संख्या जहाँ पर न्यासी बैंक को निधि स्थानांतरित करने के पश्चात एससीएफ अपलोड किया गया।

लेखापरीक्षा नमूना के अंतर्गत शामिल किया गया

- 168 डीडीओ;[11] 07 राज्य सरकारों[12] में **{अनुलग्नक II(क)}**
- 15 डीडीओ;[13] 02 केंद्र शासित प्रदेशों में **{अनुलग्नक II(ख)}**
- 74 डीडीओ;[14] केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों/विभागों[15] में 26 प्रधान एओ के अंतर्गत **{अनुलग्नक II(ग)}**; तथा

लेखापरीक्षा में 3,822 अभिदाताओं के अभिलेखों की जाँच की गई।

2.5 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान डीईए, डीएफएस, डीओई, डीओपीपीडब्ल्यू, पीएफआरडीए, सीजीए, सीपीएओ और राज्य सरकारों के संबंधित कार्यालयों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करना चाहती है।

---

10 ट्रांजैक्शन आईडी- जब किसी एससीएफ को सीआरए प्रणाली में अपलोड किया जाता है तो एक विशिष्ट आईडी निर्मित होती है जो ट्रांजैक्शन आईडी कहलाती है। यह आईडी न्यासी बैंक के लिये संदर्भ होगी जिसके परिप्रेक्ष्य में भेजी गयी निधि का मिलान अपलोड किए गए एससीएफ से किया जाता है।

11 राज्य सरकार के 140 डीडीओ तथा एसएबी के 28 डीडीओ

12 आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड

13 2 केंद्रशासित प्रदेशों (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) में 10 डीडीओ और 1 केंद्रशासित प्रदेश (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) में एसएबी के 5 डीडीओ। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह से कोई एसएबी चयनित नहीं की गयी।

14 केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के 15 प्रधान एओ व सीएबी के 11 प्रधान एओ जिनके अंतर्गत क्रमशः 62 डीडीओ (केंद्र सरकार) और 12 डीडीओ (सीएबी) थे।

15 (1) राजस्व विभाग (सीबीईसी, सीबीडीटी, राजस्व विभाग) (2) परमाणु उर्जा विभाग (3) गृह मंत्रालय (4) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (5) कानून एवं न्याय मंत्रालय (6) खान मंत्रालय (7) योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (8) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (9) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (10) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (11) जल संसाधन मंत्रालय (12) कृषि मंत्रालय (13) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (14) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (15) आर्थिक कार्य विभाग (16) वित्तीय सेवाएँ विभाग